... अधिकारी अपाली सोनी (आरएएस)

प्रा0पत्र संख्या 25/2018

उनवान

1.आशाराम पुत्र भोज्य जाति गुर्जर निवासी हमीरिया तह पीपलू टोंक कुल कस

प्रार्थी

बनाम

1.गोपाल पुत्र नारायण जाति गुर्जर निवासी हमीरिया तहसील पीपलू जिला टोंक कुल 12 कस

प्रतिपक्षीगण

तारिख फैसला 11.4.2018

वाद बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अ0धारा 212 आर0टि0 एक्ट

प्रार्थी अधिवक्ता :– चतुर्भूज गुर्जर

अप्रार्थी अधिवक्ता :–राजाराम चौधरी

निर्णय

प्रार्थना पत्र के सारांश में इस प्रकार है कि प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता ने यह प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि भूमि अराजी ख0न0 2701, 2702, 2708, 2709, 2710, 3469, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486 कुल किता 12 कुल रकबा 10 बीधा 18 बिस्वा वाके ग्राम रानोली तह0 पीपलू में स्थित है जिसमें प्रार्थी के हिस्से की खातेदारी एंव कब्जेकाश्त की भूमि है । वर्तमान में हिस्सा अनुसार मौके पर बाहमी बटवारा कर शान्ति पूर्वक काबिज होकर कब्जा काश्त चला आ रहा । तथा प्रतिवादीगण जो कि बिना विधिवत विभाजन के भूमि पर आये दिन लडाई झगडा करते है तथा रहनदान बैचान करने पर अमादा है जिनका उन्हे कोई वैधानिक अधिकार नही है। यदि प्रतिवादीगण को पाबन्द नही किया जाता है तो प्रार्थी को अपार हानि होगी । प्रार्थी अपने हक से मरुहम हो जायेगे अप्रार्गिगण बिना तकासमा के भूमियों को हस्तान्तरित करने में कामयाब हो जायेगे जिनकी क्षतिपूर्ति संभव नही हो सकेगी प्रार्थी को वाद का पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा अतः प्रतिपक्षीगण को ताफैसला तक पाबन्द फरमाया जावें कि उक्त वर्णित भूमि को स्वंय व अन्य के माध्यम से रहनदान बैचान नही करे ।

पत्रावली दर्ज रजिस्ट्रर कर तलबी प्रतिवादी की गई प्रतिवादी की ओर से जरिये अधिवक्ता ने जवाब प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना पत्र के सभी चरणो को गलत बताते हुऐ अस्वीकार करते हुऐ प्रथम द्रष्टया प्रकरण सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्णीय क्षति के तीनों बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में न होकर प्रतिवादीगण के पक्ष में है। वर्णित आराजी में प्रार्थी का 1/18 हिस्सा है प्रतिवादीगण न0 1 ता 5 व इनके साथ रंगलाल पुत्र बेदा का व उसके मरने के बाद उसके वारिसान में उसके पुत्र भगवान व पुत्री लाली का मिलाकर संयुक्त रूप से 1/3 हिस्सा है परन्तु जमाबन्दी में रंगलाल के वारिसान का नाम सहवन से अंकित नही हुआ है। शेष 1/3 हिस्सा प्रतिवादीगण न0 6 का प्रतिवादी न0 7 ता 10 का 25/18 हिस्सा है। पक्षकारान द्वारा मौके पर अपना –अपना हिस्सा बाट कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से तथा मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन कर काश्त चले आ रहे है। जो वर्षो से बाहमी बटवारा कर उसी अनुसार काबिज है। कानून के तहत अपने अविभाजित हिस्से का भी रहनदान बैचान करने उपयोग उपभोग करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। किसी भी सहकृषक को जमाबन्दी में अंकित अविभाजित भू भा का अन्तरण करने पर कोई रोक या अस्थायी व स्थायी व्यादेश पारित नही किया जा सकता हैं प्रार्थी का 1/18 हिस्सा है जो उस हिस्से की हद तक अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र में तथ्य पूर्णतया गलत होने से स्वीकार नहीं है। । ऐसी स्थिति में प्रा0पत्र सारहीन विधिहीन होने से खारिज किया जावे।

उपखण्ड अधिकारी
पिपलू जिला टोंक

प्रार्थी को अपार हानि होगी। प्रार्थी ... के भूमियों को हस्तान्तरित करने में कामयाब हो जायेगे जिनकी क्षतिपूर्ति संभव नही हो सकेगी प्रार्थी को वाद का पेश करने का मकसद ही समाप्त हो जायेगा अतः प्रार्थना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा को मूल वाद के निर्णय तक प्रतिपक्षीगण को पाबन्द करने का निवेदन कियां। तथा अपने प्रार्थना पत्र के सर्मथन में निम्न कानूनी नजीरे आर.आर.टी 2010(1) पेज न0 221व पेज न0 465 पेश की है।

प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने अपने जवाब के कथनो को दोहराते हुए निवेदन किया है कि वर्णित आराजी में प्रार्थी का 1/18 हिस्सा है । तथा पक्षकारान द्वारा मौके पर अपना –अपना हिस्सा बाट कर राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्से तथा मौके पर कब्जे अनुसार विभाजन कर काश्त चले आ रहे है। जो वर्षो से बाहमी बटवारा कर उसी अनुसार काबिज है। कानून के तहत अपने अविभाजित हिस्से का भी रहनदान बैचान करने उपयोग उपभोग करने का वैधानिक अधिकार प्राप्त है। किसी भी सहकृषक को जमाबन्दी में अंकित अविभाजित भू भाग का अन्तरण करने पर कोई रोक या अस्थायी व स्थायी व्यादेश पारित नही किया जा सकता हैं प्रार्थी का 1/18 हिस्सा है जो उस हिस्से की हद तक अधिकारों की सुरक्षा कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र में तथ्य पूर्णतया गलत होने से स्वीकार नहीं है । ऐसी स्थिति में प्रा0पत्र सारहीन विधिहीन होने से खारिज किया जावे। कानूनी नजीरे आर0आर0टी0 2013(2) पेज न0 1109 ,आर.आर.टी 2016 पेज न0 115 पेश की है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र, प्रतिवादीगण के जवाब, बहस एवं जमाबन्दी अराजी ख0न0 2701, 2702, 2708, 2709, 2710, 3469, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486 कुल किता 12 कुल रकबा 10 बीधा 18 बिस्वा वाके ग्राम रानोली तह0 पीपलू में स्थित भूमि तथा प्रस्तुत अधिवक्ता वादी द्वारा कानूनी नजीरे आर.आर.टी 2010(1) पेज न0 221व पेज न0 465 एवं अधिवक्ता प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे आर0आर0टी0 2013(2) पेज न0 1109 ,आर.आर.टी 2016 पेज न0 115 कां अवलोकन किया जिसमें प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत कानूनी नजीरे प्रार्थना पत्र पर स्पष्ट होती है।

पक्षकारान की सहखातेदारी की भूमि है, प्रत्येक सहखातेदार अपने अंश की सीमा तक उस भूमि का स्वामी है, ऐसी स्थिति में सहखातेदार के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नही की जा सकती है। राजस्थानी काश्तकारी अधिनियम 1955 धारा 212 के अनुसार भी प्रार्थी उसके हिस्से की सीमा तक विवादित भूमि का स्वामी है संयुक्त सम्पति के सभी सह अशंधारी कब्जे में होना माने जाते है अप्रार्थी भी सह स्वामी है और उसके हिस्से की सम्पति को विक्रय करने का हकदार है। इस कारण उक्त नजीरे वाद में लागू होती है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र में प्रार्थी के पक्ष में प्रबल सिद्व सम्पूर्ण रूप से नही होने से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आशिंक रूप से इस हद तक स्वीकार किया जाता है कि राजस्व रेकार्ड में दर्ज प्रार्थी का 1/18 हिस्से तक प्रार्थी को दी गई अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 15.3.2018 को ताफैसला वाद तक कनर्फम की जाती है। तथा शेष कार्यवाही प्रतिवादीगण के विरूद्व जारी अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज की जाती है।

निर्णय आज 11.4..2018 को सरे इजलाश सुनाया गया

(अर्पिता सोनी)
आर0ए0एस0
उपखण्ड अधिकारी
पीपलू

उपखण्ड अधिकारी
पिपलू जिला टोंक